

न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 170/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम मालीराम

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का इटाखा प.स.डी. अंतर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल मालीराम पुत्र शांतिराम जाति पार निवासी इटाखा प.स.डी. द्वारा ग्राम इटाखा प.स.डी. के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है किस्म भूमि गैर सायल भूमि में से 1260 वर्ग मीटर भूमि पर सम्वत् 2005 में नाजायज गैर सायल अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा है कि मेरे सरकारी अधिकार को कोई भी हल्का नहीं है नोटिस के धारा 91 की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर 2005 की अवधि में अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल मालीराम का उक्त खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है गैर सायल भूमि में से 1260 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल मालीराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल मालीराम जाति पार निवासी इटाखा प.स.डी. द्वारा ग्राम इटाखा प.स.डी. के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है गैर सायल भूमि में से 1260 वर्ग मीटर भूमि का सम्वत् 2005 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.13 रु. का 50 गुणा से 7.00 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज

